कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम मंत्रालय,भारत सरकार)

Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour, Govt. of India)

मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

परीक्षा 5(1)2009/07/21

दिनांक 13 अप्रैल APR 2011

सेवा में,

नाम से
श्री एम.पी. सिन्हा
क्षे.भ.नि.आ.-1

*क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
गुजरात

विषयः दिनांक 7 से 11 दिसम्बर,2009 तक प्र.अ./ले.आ. परीक्षा के परिणामों की घोषणा-ओ. ए. संख्या 434 से 437 /2009/कैट, अहमदाबाद बेच में लंबित होने के कारण गुजरात में एक रिक्ति के परिणाम की घोषणा का लंबित होना- संबंधी ।

महोदय,

दिनांक 7 से 11 दिसम्बर,2009 तक प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी परीक्षा के परिणाम के संबंध में कैट, अहमदाबाद पीठ (बैचं) में ओ.ए. संख्या 434 से 437/2009 लंबित होने के कारण सामान्य श्रेणी की 26 रिक्तियों में से 25 उम्मीदवारों के परिणाम की घोषणा की गई थी।

इन ओ.ए. के आवदेनकर्त्ता, श्री अनिल कुमार परमार व 13 अन्य दिनांक (01.01.2009 को) पदोन्नति हेतु भर्ती नियमों के अनुसार प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी विभागीय परीक्षा में आवेदन करने के पात्र नहीं थे। तथापि, उन्हें कैट के अंतरिम आदेशों के कारण अनुमति प्रदान की गई थी। इनके परिणामों की घोषणा नहीं की गई थी क्योंकि उम्मीदवार भर्ती नियमों के अनुसार पात्र नहीं थे तथा निर्णय लंबित था।

कथित ओ.ए. को कैट द्वारा दिनाक 24.02.2011 के अपने सामान्य आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। माननीय कैट द्वारा यह पाया गया तथा आदेश दिए गए कि:-

''वर्तमान मामलों से संबंधित तथ्यों की पड़ताल करने,भर्ती नियमों में छूट संबंधी कानून के साथ-साथ जबलपुर बैचं का दिनांक 22.10.2010 का आदेश (दीपक कुलकर्णी तथा अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) की कसौटी पर रखने के उपरांत, हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि आवदेनकर्त्ता प्र.आ./स.ले.अ. के पद हेतु विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं थे । हमारा यह भी मत है कि अधिकरण संबंधित प्राधिकारी को नियमों में छूट के लिए निदेश नहीं दे सकता। वैधानिक नियमों के

अंतर्गत पात्रता मापदंडों का निर्धारण करने में कोई भी अवैधता अथवा निरकुंशता नहीं पाई गई है। अतः तथ्यपरक न होने के कारण, याचिकाओं को निरस्त किया जाता है

प्र.अ./ ले.आ. परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों के अंक पत्र संख्या परीक्षा 5(1)/2009/428 दिनांक 5/13.08.2010 द्वारा घोषित किए गए थे। निम्नलिखित उम्मीदवार गुजरात में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत वरीयता (मेरिट) आदेश में 26 वें स्थान पर आते है तथा अब दिनांक 7 से 11 दिसंबर,2009 को संपन्न प्र.अ./ ले.आ.पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा में सफल घोषित किए जाते हैं।

दिनांक 7 से 11 दिसम्बर,2009 को संपन्न प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी में सफल उम्मीदवारों की सूची संदर्भ संख्या परीक्षा 5(1)2009/428 दिनांक 5/13.08.2010 के संबंध में जारी सूची-गुजरात						
क्रमाक संख्या	रोल नम्बर	उम्मीदवार का नाम	वर्तमान कार्यालय	श्रेणी	कुल	स्थान
सामान्य						
1.	GJ0030	लीना अनिल कुमार	अहमदाबाद	सामान्य	299	26

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी।

भवदीया,

(सरोजिनी राणे)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (परीक्षा)

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1 अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (म.प्र. एवं गुजरात)
2 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मा.सं.प्र.), (मुख्यालय) आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) को बेवसाइट पर दर्शाने हेतु।

(सरोजिनी राणे)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (परीक्षा)